


मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल

क्रमांक 2101 /स्था/प्रनिबो/2017

भोपाल, दिनांक 14 AUG 2017

--: कार्यालय आदेश :-

उद्योगों एवं अदानों के संचालन से उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों को होने वाली सिलीकोसिस बीमारी के संबंध में माननीय मानव अधिकार आयोग द्वारा दिनांक 23/6/2017 को सुनवाई उपरांत पारित अंतरिम आदेश के अनुपालन में निर्देशित किया जाता है कि कार्यक्षेत्र में संचालित समस्त (1) उद्योग (2) अदानों (3) कर्टिंग इकाई (4) पोलिशिंग इकाई (5) ग्राइंडिंग इकाई, इत्यादि कार्य होता है, जिनसे सिलीकोसिस बीमारी की संभावना रहती है, में सक्षम वायु प्रदूषणरोधी उपकरण की स्थापना व संचालन के साथ-साथ जल छिड़काव की व्यवस्थाओं की स्थापना के उपरांत ही उत्पादन सम्मति प्रदान करें/नवीनीकरण करें। पूर्व से कार्यरत उद्योगों को जारी की गई सम्मति के नवीनीकरण के परिप्रेक्ष्य में स्थापित उपकरणों का संचालन भी सुनिश्चित करें।

  
( ए० ए० मिश्रा )  
सदस्य सचिव,

पृ.क्र. 2102 /विधि/प्रनिबो/2017

भोपाल, दिनांक 14 AUG 2017

प्रतिलिपि :-

- 1 निज सचिव, अध्यक्ष, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ
  - 2 अधीक्षण यंत्री, वित्त शाखा, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
  - 3 समस्त क्षेत्रीय अधिकारी, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
- ✓ आर्डर बुक, गार्ड फाईल आईटी शाखा, (वेबसाईट पर अपलोडिंग हेतु)